संख्या-3516 / 37-1-14-5(51) / 2014

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनउ

पशुधन अनुभाग-1 लखनउ:दिनांक 05 नवम्बर, 2014

विषय:- पशुपालन विभाग के समूह ग एवं घ के कार्मिकों की स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समूह ग एवं घ के नियुक्ति प्राधिकारी मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-।। (पूर्व पदनाम उप निदेशक) है। शासन के संज्ञान में आया है कि इन कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित न होने के कारण विभिन्न स्तरों से रूटीन रूप में स्थानान्तरण किये जा रहे है, जो उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त समूह "ग" एवं "घ" के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

(1) समूह "ग" एवं "घ" के पदधारको के नियुक्ति प्राधिकारी मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-।। है। मण्डल में इन पदों की उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष इनकी नियुक्ति की जाती है। अत: इन कार्मिकों के संवर्ग को मण्डल स्तरीय माना जायेगा।

(2) सामान्य रूप से इन कार्मिकों का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(3) केवल अपने अनुरोध पर या प्रशासनिक आधार पर इनका स्थानान्तरण मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर अपर निदेशक, ग्रेड-।। द्वारा मण्डल के अन्दर किया जायेगा।

(4) इन कार्मिकों के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जॉच कराने के पश्चात शिकायतों की पुष्टि होने पर ही आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया जाय।

(5) कार्मिकों के स्वयं के लिखित अनुरोध पर मण्डल के अन्दर रिक्त स्थान पर मण्डलीय अपर निदेशक द्वारा स्थानान्तरण किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित कर्मचारी के रिश्तेदारों, शुभेच्छुओं या जनप्रतिनिधियों के पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी कार्मिक को समायोजित करने हेतु दूसरे को विस्थापित करना पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है।

(6) सामान्य परिस्थितियों में इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को मण्डल से बाहर स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। मण्डल से बाहर स्थानान्तरण सम्बन्धित कार्मिक के अनुरोध पर ही वांछित मण्डल में पद रिक्त होने की स्थिति में निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा शासन के

पूर्वानुमोदन से किया जा सकेगा।

(7) मण्डल के बाहर स्थानान्तरण सम्बन्धित कर्मचारी के लिखित अनुरोध पर किया जायेगा। इस हेतु सम्बन्धित कर्मचारी के रिश्तेदारों, शुभेच्छुओं या जनप्रतिनिधियों के पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) इस प्रकार मण्डल के बाहर स्थानान्तरण के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिक जिस मण्डल में तैनात होंगे, वहाँ वह मण्डल स्तर की ज्येष्ठता सूची में सबसे नीचे रखे जायेंगें। तदनुसार प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची में भी वह अपनी पूर्व ज्येष्ठता खो देंगें और जिस मण्डल में उनका स्थानान्तरण हुआ है, उसमें योगदान की तिथि को उनकी प्रथम नियुक्ति मानते हुये ज्येष्ठता पुन: निर्धारित होगी।

(9) समूह "ग" एवं "घ्" के पद पर कार्यरत कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची दो स्तर पर तैयार की जायेगी, पहली मण्डल पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तथा दूसरी प्रदेश स्तर पर निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा। इन कार्मिकों की उच्च पदों पर प्रोन्नति निम्नानुसार की जायेगी:-

(क) ऐसे पद, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-।। हैं, उन पदों पर प्रोन्नति मण्डल स्तर की ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी।

(ख्) ऐसे पद, जिनके नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, पशुपालन विभाग है, उन पदो पर प्रोन्नति प्रदेश स्तरीय ज्येष्ठता सूची के आधार पर की जायेगी।

2- कृपया उपरोक्त निर्णय के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अनन्त कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या- 3516(1)/37-1-2014, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-।।, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।
2- संयुक्त निदेशक(प्रशासन), पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव